|| न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ||

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेणू मीना, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं०	तारीख रज्जू	तारीख प्रा० निर्णय
1/114	16.09.2020	11.04.2022

01– अमरसिंह पुत्र श्री रामस्वरूप जाति अहीर,

02– रामकंवार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति अहीर,

03– प्रभाती पुत्र श्री रामस्वरूप जाति अहीर (मृतक)

3/1– भूपसिंह पुत्र स्व० प्रभाती जाति अहीर, उम्र 50 साल, लोधाडी तहसील व जिला अलवर

3/2– रविदत्त पुत्र स्व० प्रभाती जाति अहीर, उम्र 47 साल, लोधाडी तहसील व जिला अलवर

3/3– ओमा पत्नी बिल्लू पुत्री स्व० प्रभाती जाति अहीर, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम सांतो तहसील बहरोड जिला अलवर

3/4– सोमा पत्नी मानसिंह पुत्री स्व० प्रभाती जाति अहीर, उम्र 43 साल, निवासी ग्राम सांतो तहसील बहरोड जिला अलवर

3/5– जीतेन्द्र पुत्र स्व० प्रभाती जाति अहीर, उम्र 35 साल, लोधाडी तहसील व जिला अलवर

3/6– सुमन पत्नी विनोद पुत्री स्व० प्रभाती जाति अहीर, उम्र 32 साल, निवासी डीवीडी स्कूल के पास, नारनौल रोड बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर

04– मोहरसिंह पुत्र श्री रामस्वरूप जाति अहीर, निवासी ग्राम लोधाडी तहसील व जिला अलवर

–वादीगण

बनाम

01– रामवतार पुत्र श्री रामजीलाल यादव निवासी ग्राम लोधाडी भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर

02– राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर

–प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with CamScanner

करते हुए कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 938 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर में स्थित है। साबिक खसरा नम्बर 938 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1388 रकबा 0.08 है०, 1389 रकबा 0.11 है०, 1390 रकबा 0.26 है०, 1391/1593 रकबा 0.18 है०, 1381 रकबा 0.37 है० बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियान ने सम्वत 2051 में बनाये है। प्रार्थी ने अपने वाद में अंकित किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1381 रकबा 37 ऐयर में प्रार्थी का रकबा मिलाया गया है। आराजी हाल खसरा नम्बर 1381 रकबा 37 ऐयर हमारे अन्य खसरा नम्बरान 1388, 1389, 1390, 1391/1593 के साथ लगता हुआ है और मौके पर एक ही चक सभी आराजीयात का बना हुआ है। किन्तु बन्दोबस्त विभाग ने बगैर जांच पडताल किये ही हाल आराजी खसरा नम्बर 1381 जो कि साबिक खसरा नम्बर 938 से बना है को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया जो इन्द्राज गलत है, खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। दिनांक 10.06.1998 को वादीगण ने कब्जे काश्त में विवादित आराजी में मजाहमत की वादीगण ने अपने वकील साहब से सलाह ली तो उन्होने जानकारी सही दी। वाद जानकारी यह दावा बिला देरी के न्यायालय में पेश किया है। प्रतिवादी इस गलत इन्द्राज की आड में वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही पेश किया है। ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर का सैटलमेन्ट सम्वत 2051 में हुआ है। जिससे यह गलत इन्द्राज प्रतिवादी के नाम दर्ज हुआ है। इस गलत इन्द्राज का ईलम दिनांक 10.06.1998 को हुआ। वादीगण के कब्जे में मजाहमत की, जबरन कब्जा करने की कोशिश की बिनायदावी एवं बिनायमुखासमत इसी दिनांक उत्पन्न हुई है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 938 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 1381 रकबा 37 ऐयर में मिलाया गया है। वाके ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर में स्थित है। वादीगण बहैसियत काबिज काश्तकार के काबिज है। सैटलमेन्ट कर्मचारियान ने प्रतिवादी के नाम का इन्द्राज बहैसियत काबिज काश्तकार के कर दिया है जो गलत है। खिलाफ कानून खिलाफ मौका है जिस इन्द्राज को कलमजन करवाकर उसके बजाय उपरोक्त आराजी के कब्जेकाश्त के खाने में वादीगण अपने नाम का इन्द्राज बहैसियत काबिज काश्तकार के दर्ज कराने के अधिकारी है। न्यायालय को निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। न्यायालय की आदेशिका पर दिनांक 29.10.2015 को पैरोकार सरकार ने अंकित किया है कि प्रकरण में राज्यहित निहित नही होने के कारण जवाब की आवश्यकता नही है। प्रतिवादी संख्या–1 ने दिनांक 23.02.1999 को जवाब दावा पेश किया। तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई।

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with CamScanner

01– आया साबिक खसरा नम्बर 938 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के वादी काबिज काश्तकार है।
–वादी

02– आया खसरा नम्बर 1388 रकबा 08 ऐयर, 1389 रकबा 11 ऐयर, 1390 रकबा 26 ऐयर, 1391/1593 रकबा 18 ऐयर व 1381 रकबा 37 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 938 से बने है और सैटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 1381 रकबा 37 ऐयर का इन्द्राज प्रतिवादीगण के हक में गलत रूप से कर दिया। –वादी

03– आया प्रतिवादीगण 6000/–रूपये विशेष हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।
–प्रतिवादी

04– अनुतोष

दिनांक 09.08.2012 को प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में PW-1 मोहर सिंह पुत्र रामस्वरूप के बयान कराये गये एवं दस्तावेजात पर निम्नानुसार प्रदर्श–1 लगा० प्रदर्श–17 डाले गये।

नकल मिसल 2051 से 2070 प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत 2045 प्रदर्श–2, सनद दिनांक 16.07.90 प्रदर्श–3, प्रतिलिपि नकल फार्म प्रदर्श–4, नामान्तकरण सत्यप्रतिलिपि दिनांक 05.06.89 प्रदर्श–5, सत्यप्रतिलिपि मिसल 2051 भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–6, सत्यप्रतिलिपि मिसल 2051 प्रदर्श–7, जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प्रदर्श–8, जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प्रदर्श–9, जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प्रदर्श–10, सत्यप्रतिलिपि घटनाबही प्रदर्श–11, असल इकरारनामा दिनांक 07.06.1980 प्रदर्श–12, असल रसीद दिनांक 07.06.1980 प्रदर्श–13, नक्शा ट्रेस सत्यप्रतिलिपि सम्वत 2030–2033 प्रदर्श–14, नक्शा ट्रेस सत्यप्रतिलिपि हाल खसरा नम्बरान प्रदर्श–15, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051 सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–16 एवं पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श–17 डाले गये एवं शपथ पत्र रघुवीर पुत्र मंगतूराम जाति अहीर ग्राम लोघाडी पेश किये है।

वकील वादीगण की बहस सुनी। वकील वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद में तनकीयात कायम की गई है जिन पर विवेचन किया जाना आवश्यक है।

01– आया साबिक खसरा नम्बर 938 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के वादी काबिज काश्तकार है।
–वादी

विवादित साबिक खसरा नम्बर 938 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा को वादीगण ने 4000/– रूपये में जर्ये इकरारनामा दिनांक 07.06.1980 को उम्मेद पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी डाडा तहसील अलवर से खरीद किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में वादीगण का साबिक खसरा

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with CamScanner

नम्बर 938 मे 2 बीघा 15 बिस्वा पर कब्जा बतलाया है। जमाबन्दी सम्वत 2045 प्रदर्श–2 मे साबिक खसरा नम्बर 938 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर वादीगण को खातेदार दर्ज किया हुआ है। सम्वत 2051 मे सैटलमेन्ट कर्मचारियान द्वारा साबिक खसरा नम्बर 938 के नये नम्बर 1381 रकबा 37 ऐयर कायम किया गया जिसमे वादीगण की आराजी शामिल कर दी गई एवं हाल खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.37 है० को प्रतिवादी रामअवतार पि० रामजीलाल को बिना किसी दस्तावेजात, सबूत एवं साक्ष्य के खातेदार दर्ज कर दिया। वाद मे प्रतिवादी रामवतार द्वारा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नही किये है। वादीगण इस तनकी को साबित करने मे सफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–01, वादीगण के पक्ष मे तय कर निर्णित की जाती है।

02– आया खसरा नम्बर 1388 रकबा 08 ऐयर, 1389 रकबा 11 ऐयर, 1390 रकबा 26 ऐयर, 1391/1593 रकबा 18 ऐयर व 1381 रकबा 37 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 938 से बने है और सैटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 1381 रकबा 37 ऐयर का इन्द्राज प्रतिवादीगण के हक में गलत रूप से कर दिया।

–वादी

मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051 हाल खसरा नम्बर 1388 रकबा 08 ऐयर, 1389 रकबा 11 ऐयर, 1390 रकबा 26 ऐयर, 1391/1593 रकबा 18 ऐयर व 1381 रकबा 37 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 938 से बने है। विवादित साबिक खसरा नम्बर 938 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा को वादीगण ने 4000/– रूपये में जर्ये इकरारनामा दिनांक 07.06.1980 को उम्मेद पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी डाडा तहसील अलवर से खरीद किया है। सम्वत 2051 में सैटलमेन्ट कर्मचारियान द्वारा साबिक खसरा नम्बर 938 के नये नम्बर 1381 रकबा 37 ऐयर कायम किया गया जिसमें वादीगण की 25 ऐयर आराजी शामिल कर दी गई एवं हाल खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.37 है० को प्रतिवादी रामवतार पि० रामजीलाल को बिना किसी दस्तावेजात, सबूत एवं साक्ष्य के खातेदार दर्ज कर दिया। वाद में प्रतिवादी रामवतार द्वारा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नही किये है। वादीगण इस तनकी को भी साबित करने में सफल रहे है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–01, वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित की जाती है।

03– आया प्रतिवादीगण 6000/–रूपये विशेष हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

–प्रतिवादी

विवादित साबिक खसरा नम्बर 938 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा को वादीगण ने 4000/– रूपये में जर्ये इकरारनामा दिनांक 07.06.1980 को उम्मेद पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी डाडा तहसील अलवर से खरीद किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में वादीगण का साबिक खसरा नम्बर 938 में 2 बीघा 15 बिस्वा पर कब्जा बतलाया है। जमाबन्दी सम्वत 2045

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with CamScanner